प्रेस नोट दिनांक 13.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

साइबर क्राइम सेल – जनपद प्रतापगढ़

साइबर क्राइम सेल जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा विशेष अभियान के क्रम में साइबर अपराध में प्रयुक्त होने वाले बैंक खाता-धारकों व मोबाइल नम्बरों के विरुद्ध जनपद से कई टीमों का गठन कर जनपद प्रतापगढ़ में साइबर अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में 14 अभियोग पंजीकृत व 34 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के विरुद्ध श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश, द्वारा चलाये जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान के अन्तर्गत, श्रीमान् पुलिस पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी)/ नोडल साइबर अपराध, जनपद प्रतापगढ़ के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम सेल प्रतापगढ़ व जनपद प्रतापगढ़ के थानों पर संचालित साइबर हेल्प-डेस्क के साथ कई टीमों का गठन किया गया।

उक्त टीमों के द्वारा त्वरित व योजनाबद्ध तरीके से दबिश व कार्यवाही करते हुए वर्तमान में प्रचलित साइबर अपराध - विशेष रूप से टेलीग्राम / इंस्टाग्राम / व्हाट्सऐप आदि सोशल मीडिया से संचालित होने वाले इन्वेस्टमेंट स्कैम / डिजिटल अरेस्ट / पार्ट-टाइम जॉब / क्रिप्टो-ट्रेडिंग फ्रॉड आदि में प्रयुक्त होने वाले बैंक खाते(म्यूल बैंक खाते) तथा मोबाइल नंबर धारकों के विरुद्ध देश भर के कुल 19 राज्यों में दर्ज 89 NCRP शिकायतों में शामिल 17 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी और सत्यापन के उपरान्त कुल 14 मुकदमे जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर पंजीकृत किये गये। इन बैंक खातों व मोबाइल नंबर का दुरुपयोग देश भिन्न-भिन्न राज्यों से लगभग रकम 12 करोड़ 18 लाख रुपये(₹12,18,08742.27) के साइबर फ्रॉड में संलिप्तता पायी गयी। पूछताछ के बाद प्राप्त साक्ष्यों व अन्य इनपुट पर साइबर सेल द्वारा गहनता से जाँच की जा रही है।

साइबर अपराध खातों (Mule Accounts) व मोबाइल की भूमिका –
किसी भी साइबर अपराध में बैंक खाते तथा मोबाइल नंबर का ही सबसे बड़ा रोल होता है। ये बैंक खाते तथा मोबाइल नंबर सामान्य रूप से कुछ कमीशन के लालच में एजेंटों के माध्यम से सुदूर बैठे साइबर अपराधियों को दिए जाते हैं तत्पश्चात इन बैंक खातों व मोबाइल नंबर का उपयोग कर देश भर में हो रहे साइबर फ्रॉड (Investment Scam, Gaming, Trading, Digital Arrest etc.) में किया जाता है। इसी प्रकार साइबर अपराध में प्रयुक्त होने वाले मोबाइल नम्बरों का प्रयोग फ़ोन करके पीड़ित को ठगने / फेक सोशल मीडिया चैनल (Telegram/whatsapp etc.), मेल आई०डी० बनाने आदि में किया जाता है।

अभियान के दौरान पंजीकृत अभियोग :-
1. मु0अ0सं0-164/2026 धारा 3(5),45,112(2),318(4) BNS & 66 D IT Act थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0- 181/2026 धारा 318(4),45,3(5),112(2) BNS & 66 D IT Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 182/2026 धारा 318(4),45,3(5),112(2) BNS & 66 D IT Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 216/2026 धारा 3(5),61(2), 49,111(2)(b), 319(2), 318(4) BNS थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 217/2026 धारा 3(5),61(2), 49,111(2)(b), 319(2), 318(4) BNS थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 218/2026 धारा 3(5),61(2), 49,111(2)(b), 319(2), 318(4) BNS थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0- 156/2026 धारा 318(4), 111(3) BNS व 66(C) & 66(D) IT Act थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0- 155/2026 धारा 318(4), 111(3) BNS व 66(C) & 66(D) IT Act थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0- 413/2026 धारा 318(4),45,112(2),3(5) BNS & 66 D IT Act थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0- 218/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),45,112(2) BNS थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0- 176/2026 धारा 61(2), 49, 111(2)(b),318(4), 319(2), 3(5) BNS थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0- 247/2026 धारा 318(4),319(2), 61(2)(a), 112(1) BNS थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0- 307/2026 धारा 3(5), 45,61(2), 318(4), 112(2) BNS & 66 D IT Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
14. मु0अ0सं0- 141/2026 धारा 3(5), 45, 112(2),318(4) BNS थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण :-

1. कन्हैया लाल पुत्र राम खेलावन हरिजन उम्र -38 वर्ष निवासी मरुआन थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. श्रीराम गौतम पुत्र चौथी राम गौतम उम्र – 30 वर्ष निवासी भाउपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
3. सचिन सिंह पुत्र आद्याप्रसाद उम्र – 22 वर्ष निवासी दमडी थाना असपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
4. सचिन पटेल पुत्र रंग बहादुर पटेल उम्र – 19 वर्ष निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
5. विराज सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी कोहरचका देवली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
6. लव कुश सरोज पुत्र शिवलाल सरोज निवासी बरना कल्यानगण थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
7. रवि कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
8. मुकेश कुमार वर्मा पुत्र राजदेव वर्मा निवासी रामपुर खागल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
9. दीपक सिंह पुत्र वीरेंद्र बहादुर सिंह निवासी सरियापुर नौबस्ता थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

10. कृष्णलाल प्रजापति पुत्र रामदीन प्रजापति निवासी पूरे नगिया पर्वतपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
11. हरीशचंद्र पुत्र जियाराम वर्मा उर्फ़ जयराम निवासी छिटाही गंभीरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
12. अर्पित कुमार उपाध्याय पुत्र रमेश कुमार उपाध्याय निवासी अबरना थाना सुरियावां जनपद भदोही
13. श्रेयांश द्विवेदी पुत्र कौशल किशोर द्विवेदी निवासी MDPG कॉलेज भगवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
14. अंकित द्विवेदी पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी निवासी अष्टभुजा नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
15. अंकित कुमार पटेल पुत्र राममिलन सिंह पटेल निवासी कादीपुर महुआर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
16. युवराज सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
17. प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र राम गोपाल सोनकर निवासी सुभाष नगर थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

कुल पंजीकृत अभियोग-14
कुल NCRP शिकायतें – 89
कुल 19 राज्यों से शिकायतें प्राप्त
लगभग रकम- 12 करोड़ 18 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड में संलिप्तता पायी गयी।

अभियान में सम्मिलित पुलिस टीम का विवरण –
उ0नि0 विंध्यवासिनी तिवारी प्रभारी जनपदीय साइबर क्राइम सेल मय टीम , जनपद प्रतापगढ़।
जनपद प्रतापगढ़ के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क / साइबर क्राइम सेल

आम जनमानस से अपील व साइबर अपराध से बचाव के तरीके -
किसी भी अज्ञात लिंक, QR कोड या APK फ़ाइल पर क्लिक अथवा डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। केवल आधिकारिक वेबसाइट एवं विश्वसनीय ऐप स्टोर से ही मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें।
बैंक, RBI, पुलिस, आयकर विभाग या किसी अन्य सरकारी संस्था के नाम पर आने वाले कॉल, मैसेज या ई-मेल पर बिना सत्यापन किए विश्वास न करें। कोई भी संस्था फोन पर OTP, PIN, CVV या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगती।
अपने बैंक खाते में प्राप्त किसी अज्ञात धनराशि को बिना पुष्टि किए आगे ट्रांसफर न करें। ऐसा करना आपको साइबर अपराध की जांच में शामिल कर सकता है।
समय-समय पर अपने बैंक खाते, UPI आईडी एवं मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड बदलते रहें तथा सभी खातों में मजबूत (Strong) पासवर्ड और Two-Factor Authentication (2FA) का उपयोग करें।
किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि, फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल या धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना सांगीपुर के उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह हे0का0 नवरत्न सिंह, का0 अमित कुमार यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद संख्या 1023/24 अन्तर्गत धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित 01 अभियुक्त मकसूद हुसैन पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम भैसना जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मकसूद हुसैन पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम भैसना जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष।

पुलिस टीम -

उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह हे0का0 नवरत्न सिंह, का0 अमित कुमार यादव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में, थाना बाघराय पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पने का प्रयास करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरीशचन्द्र पाण्डेय गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत भीटीपुर नैन तिराहा कमासिन के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम तिवारी महमदपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसके जेठ द्वारा उसके पक्ष में पंजीकृत वसीयत की गई थी। आरोप है कि अभियुक्त ने मृतक के नाम से कूटरचित मेमोरेंडम विक्रय पत्र तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 297/25 धारा 318 (4)/352/351 (3)/338/339 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय उ0नि0 राहुल, रि0का0 संजीव कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 297/25 धारा 318 (4)/352/351 (3)/338/339 बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त, 01.गिरीशचन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० कृष्णदत्त पाण्डेय नि० तिवारी महमदपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत भीटीपुर नैन तिराहा कमासिन के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. गिरीशचन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० कृष्णदत्त पाण्डेय नि० तिवारी महमदपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय उ0नि0 राहुल, रि0का0 संजीव कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, म्यूल बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 02 मोबाइल फोन बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2026 धारा 3(5), 45, 112(2), 318(4), 319(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त द्वारा म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर संगठित साइबर गिरोह के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करना प्रकाश में आया। अभियुक्त के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
मु0अ0सं0 141/2026 की विवेचना के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु की गई जांच में लवकुश कुमार सरोज निवासी ग्राम बरना कल्याणगढ़, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ के दो बैंक खाते म्यूल खाते के रूप में चिन्हित किए गए। समन्वय पोर्टल पर जांच के दौरान उक्त खातों से संबंधित विभिन्न राज्यों की कुल 05 साइबर फ्रॉड शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें कुल ₹95,577 की धोखाधड़ी की धनराशि संबंधित पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन एवं कमीशन के बदले कराने की बात स्वीकार की। उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों एवं जांच के आधार पर आरोपी का साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के अवैध हस्तांतरण में संलिप्त होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, साइबर अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुंडा श्री शिव नारायन वैस के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक अयोध्या कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 141/2026 धारा 3 (5)/ 45/112(2)/318 (4) 1319 (2) बीएनएस थाना हथिगवां से संबंधित 01 अभियुक्त लवकुश कुमार पुत्र शिवलाल सरोज, निवासी ग्राम बरना कल्याणगढ़, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 319 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग, OLX पर खरीद-बिक्री तथा अन्य तरीकों से झांसे में लेकर साइबर धोखाधड़ी करता था। ठगी से प्राप्त धनराशि म्यूल खातों में प्राप्त कर तत्काल अन्य खातों में स्थानांतरित अथवा निकालकर आपस में बांट ली जाती थी। पूछताछ से संगठित अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह की संलिप्तता प्रकाश में आई है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान एवं गिरफ्तारी तथा अपराध में प्रयुक्त अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड आदि की बरामदगी हेतु विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. लवकुश कुमार पुत्र शिवलाल सरोज, निवासी ग्राम बरना कल्याणगढ़, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी-
1. Realme Narzo 70 Turbo 5G मोबाइल फोन।
2. Infinix X662 मोबाइल फोन।

पुलिस टीम- निरी0 अयोध्या कुमार, उ0नि0 विवेक पाण्डेय थाना प्रभारी हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 राजू गोड़ द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0-34/11 राज्य बनाम जवीउद्दीन आदि अ0सं0 352/10 धारा 323/452/324/504/506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रातपगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त जबीर उद्दीन उर्फ जवीउद्दीन पुत्र मुहीब उद्दीन निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.जबीर उद्दीन उर्फ जवीउद्दीन पुत्र मुहीब उद्दीन निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -
उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 राजू गोड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 कैलाश कुमार द्वारा

जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, केस न0 4222/20 अ0सं0 106/2002 धारा 290,506 भादवि राज्य बनाम मकदूम वर्मा थाना लालगंज जनपद प्रातपगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त हरिकेश वर्मा पुत्र पूरन वर्मा निवासी ग्राम दुलकन का पुरवां मजरे अगई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अगई के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. हरिकेश वर्मा पुत्र पूरन वर्मा निवासी ग्राम दुलकन का पुरवां मजरे अगई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम -
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 कैलाश कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को कुल 10 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 चरन सिंह मय हमराह हे0 का0 रमेश कुमार, का0 अजीत कुमार यादव व रि0का0 जानकी व महिला आरक्षी अनुराधा सिंह राठौर द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे खिचर मजरे सरियावा के पास से 01 अभियुक्ता सुशीला देवी पत्नी स्व0 कल्लू सरोज निवासी ग्राम पूरे खिचर मजरे सरियावा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को कुल 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 - 249/26 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1.सुशीला देवी पत्नी स्व0 कल्लू सरोज निवासी ग्राम पूरे खिचर मजरे सरियावा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 10 लीटर कच्ची शराब बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 चरन सिंह मय हमराह हे0 का0 रमेश कुमार, का0 अजीत कुमार यादव व रि0का0 जानकी व महिला आरक्षी अनुराधा सिंह राठौर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।